



**वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी
अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.12.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	नगीना देहात	<ul style="list-style-type: none"> 1. दीपचन्द पुत्र पतराम निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर। 2. अमित पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर। 3. जुल्फुकार अहमद पुत्र अब्दुल कर्यूम निवासी ग्राम जोगीरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.	रेहड़	<ul style="list-style-type: none"> 1.इसरार पुत्र सत्तार निवाली ग्राम छतरीपट्टा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर। 2. कमल सिंह पुत्र ध्यान निवासी फतेहपुर धारा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर। 3. मनोज पुत्र वलविन्द्र निवासी ग्राम माधोवाला थाना रेहड़ बिजनौर। 4.मदन पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम माधोवाला थाना रेहड़ बिजनौर।
3.	किरतपुर	शहजाद उर्फ बोबला पुत्र जहीर निवासी मोहल्ला नबादा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर (विगत 10 वर्षों से फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर करीब डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।)

थाना नगीना देहात



थाना रेहड़



थाना किरतपुर





प्रेस नोट

थाना धामपुर जनपद बिजनौर

दिनांक 06.12.2025

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 464/25 धारा
115(2)/352/351(3)/109(1)/126(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को
किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.12.2025 को वादी देवेन्द्र शर्मा पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर भोगी उर्फ मंजूपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.विनय कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा 2.हृदेश पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा 3.प्रियंका पत्नी विनय कुमार निवासीगण ग्राम अलाउद्दीनपुर भोगी उर्फ मंजूपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 4.अमित द्वारा उसके व उसकी भतीजी, भाई व बेटे के साथ गाली-गलौच कर लाठी-डण्डो व धारदार हथियार के साथ जान मारने की नियत से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।



इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0- 464/25 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.12.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण 1.विनय कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा 2.हृदेश पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा निवासीगण ग्राम अलाउद्दीनपुर भोगी उर्फ मंजूपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त फावड़ा व डंडा सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.विनय कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर भोगी उर्फ मंजूपुरा थाना धामपुर, बिजनौर
2.हृदेश पुत्र सुरेन्द्रपाल शर्मा निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर भोगी उर्फ मंजूपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0 श्री पवन उज्जवल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 723 शिव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1936 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.का0 214 प्रशान्त कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



प्रैस नोट

थाना स्योहारा बिजनौर

दिनांक – 06.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 410/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2025 को वादी श्री शमशाद अहमद पुत्र इकबाल निवासी मौ0 मिलिक्यान कर्स्वा व थाना स्योहारा जिला बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहसीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी दुकान से करीब मोबाइल फोन चोरी कर लिये हैं।

इस संबंध में थाना स्योहारा मु0अ0स0 410/2025 धारा 305(क) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त में अभियुक्त सोनू पुत्र परशुराम सिंह निवासी ग्राम कोलासागर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 06.12.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सोनू पुत्र परशुराम सिंह निवासी ग्राम कोलासागर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी किये गये मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू पुत्र परशुराम सिंह निवासी ग्राम कोलासागर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी-

01 मोबाइल फोन (ओप्पो कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- का0 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- का0 1650 अमजद खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



प्रैस नोट

थाना स्योहारा बिजनौर

दिनांक 06.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 364/25 धारा 342/376/386/120बी/420/323/504/506
भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2025 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 11.08.2023 को अभियुक्त अजीम खान पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मौ0 मुस्लिम चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ गलत कार्य कर आपत्तिजनक वीडियो बना ली गयी, जिसके द्वारा अभियुक्त अजीम खान द्वारा वादिया को ब्लैकमेल करते हुए 05 लाख रुपये लिये गये तथा अधिक रुपयों की मांग करते हुए अभियुक्त अजीम खान उपरोक्त द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। अन्य अभियुक्तगण शवनम परवीन पुत्री शाहिद हुसैन निवासी मौ0 मुस्लिम चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. खलील अहमद 3. अहमद अली 4. मौलाना सलीम अहमद द्वारा छलकपट कर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर बनाकर अभियुक्त अजीम खान उपरोक्त व वादिनी के निकाह की रशीद बना ली गयी।



इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 364/25 धारा 342/376/386/120बी/420/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 06.12.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अजीम खान पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मौ0 मुस्लिम चौधरकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

अजीम खान पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मौ0 मुस्लिम चौधरकियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.का0 1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 1849 मोनू खरव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर